eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 03, Issue 07, July 2024

पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत महिला सशक्तिकरणः चुनौतियां एवं समाधान

विवेक सिंह[1]

[1]असिस्टेंट प्रोफेसर (राजनीति विज्ञान) भारतीय महाविद्यालय, फर्रुखाबाद

Received: 15 July 2024 Accepted & Reviewed: 25 July 2024, Published : 31 July 2024

Abstract

संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था में बदलाव के लिए आधी दुनिया कहीं जाने वाली महिलाओं का सशक्तिकरण आज के आधुनिक युग की अनिवार्य जरूरत है। केवल शीर्ष स्तर पर कुछ महिलाओं को कुछ दायित्व व शक्तियां दे देने से महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं हो जाएगा, बल्कि इसके लिए ग्रास रूट स्तर पर शासन व्यवस्था की सबसे छोटी परंतु सबसे प्रभावकारी इकाई स्थानीय स्वशासन के स्तर पर महिलाओं को उनका हक तथा अधिकार मिलना चाहिए। जिससे महिलाएं स्वतंत्र रूप से संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग कर सके तथा बिना किसी दबाव के स्वतंत्र रूप से स्वयं अपने तथा अन्य विषयों पर निर्णय ले सकें। इसके लिए राजनीतिक सामाजिक तथा शैक्षिक स्तर पर उन्हें समान स्वतंत्रता, समानता व अवसर का हक तो मिलना ही चाहिए साथ ही आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का अवसर भी प्राप्त होना चाहिए। तभी महिलाएं ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण एवं सशक्त भूमिका निभा सकती हैं।

कीवर्ड – स्थानीय स्वशासन, सशक्तिकरण, ग्रास रूट, स्वतंत्रता, समानता, अवसर, आत्मनिर्भरता।

Introduction

सशक्तिकरण एक व्यापक अवधारणा है। जिसकी जरूरत हर इंसान को है। लेकिन उस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को अधिक है, जो सदियों से दबे कुचले, गरीब व शोषित रहे हैं। ऐसे समूहों में सबसे बड़ा समूह है महिलाओं का। दुनिया की आधी आबादी है महिलाओं की, लेकिन विडंबना है, कि दुनिया के राजनीतिक आर्थिक तथा शैक्षिक संसाधनों पर उनका हक 1/10 वे से भी कम है। आज दुनिया के सभी नागरिकों को मानवाधिकार का अधिकार प्राप्त है। इनमें हिंसा और भेदभाव से मुक्त रहने का अधिकार, शारीरिक एवं मानसिक उत्तम स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षित होने का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का मालिक होने का अधिकार, वोट देने का अधिकार, समान वेतन पाने का अधिकार, इत्यादि। लेकिन दुनिया भर में अभी भी महिलाओं एवं लड़कियों को लिंग के आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। लैंगिक असमानता एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसे हर क्षेत्र चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो या शैक्षिक हो, हर जगह देखने को मिलता है। लैंगिक समानता तथा समान अधिकार स्वतंत्रता एवं समानता की मांग को लेकर नारीवादी आंदोलन की शुरुआत हुई। नारीवाद की मांग ही यही है कि महिलाओं को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक समानता का अधिकार प्राप्त हो। जिससे महिलाएं भी पुरुषों के साथ समान स्तर पर अपने अधिकारों का पूरा आनंद ले सकें। दुनिया के विभिन्न देशों में अपने–अपने स्तर पर महिलाओं को सशक्त करने के संवैधानिक एवं कानूनी प्रयास किए जा रहे हैं। भारत में भी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई संवैधानिक एवं कानूनी कदम उठाए गए हैं। 73वें संविधान संशोधन 1992 के पश्चात भारत में स्थानीय स्तर पर महिलाओं को स्थानीय स्वशासन में भागीदारी दी गई। स्थानीय स्तर पर महिलाओं का राजनीतिक सशक्तीकरण करके उनकी राजनीतिक भूमिका को बढ़ाने की कवायत शुरू की

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 03, Issue 07, July 2024

गई। इस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई। ग्रामीण पंचायत में महिलाओं की भागीदारी के मामले में 1.45 मिलियन से अधिक महिलाएं स्थानीय स्तर पर फैसला लेने में अपनी प्रमुख भूमिका निभा रही हैं। स्पष्ट है, कि स्थानीय शासन सतत विकास और लैंगिक समानता के बीच निर्वाचित महिला प्रतिनिधि एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्ष 2023 की वैश्विक लैंगिक अंतर सरकारी रिपोर्ट में भारत पिछले वर्ष 2022 की तुलना में आठ पायदान उपर चढकर 127 वें रैंक पर पहुंच गया। इस रिपोर्ट में स्थानीय प्रशासन अर्थात ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं के समावेशन को एक नए संकेतक के रूप में जोड़ा गया। इस संकेतक में 146 देश शामिल रहे जिनमें केवल 18 देश ऐसे रहे जहां लोकल गवर्नेंस में 40ः से अधिक महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिला। इन देशों में भारत प्रथम रैंक पर था। भारत स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी के मामले में सबसे आगे रहा। जहां सभी पंचायत के स्तर पर सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों में से 44.4 प्रतिशत महिलाएं हैं। जबकि ग्लोबल साउथ के अन्य देशों में 35.3ः के साथ ब्रिटेन दूसरे स्थान पर तथा 30.3 प्रतिशत के साथ जर्मनी दूसरे स्थान पर रहा । वर्ष 1992. 93 में ग्रामीण महिलाओं की साक्षरता दर 34 प्रतिशत थी, जो वर्ष 2020–21 में बढ़कर 65.9 प्रतिशत हो गई । वर्ष 1992. 93 में ग्रामीण महिलाओं की कुल प्रजनन दर 3.7 बच्चे प्रति महिला थी जो 2020–21 में घटकर 2.1 बच्चे प्रति महिला हो गई । इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है, कि महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार तो अवश्य ही हुआ है।

73वें संविधान संशोधन के बाद ग्रामीण विकास में आमूल चूल परिवर्तन देखने को मिल रहा है। इसका प्रमुख कारण है, कि केंद्र तथा राज्यों की तमाम योजनाओं का क्रियान्वयन पंचायत के माध्यम से किया जा रहा है। ग्रामीण बिजली, पानी, सड़क, नाली, भोजन तथा शिक्षा से संबंधित अनेकों केंद्र व राज्य की योजनाएं पंचायत के द्वारा संचालित की जा रही हैं। ऐसे में पंचायत के सभी स्तरों पर महिलाओं को कम से कम 1/3 प्रतिनिधित्व मिल जाने से महिलाओं के लिए यह एक सुनहरा अवसर प्राप्त हो गया है। अब महिलाएं अपनी क्षमता व सामर्थ्य से स्वयं निर्णय लेकर ग्रामीण विकास तथा महिलाओं के विकास में अपनी महती भूमिका निभा सकती हैं। भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा वर्ष 2008 में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को लेकर एक अध्ययन किया गया। इस अध्ययन में यह पाया गया कि उत्तर प्रदेश, बिहार और असम जैसे राज्यों में महिला प्रधान पंचायत से संबंधित गतिविधियों में ज्यादा रुचि नहीं लेती थी। वह अपने पारिवारिक जिम्मेदारियां को निभाने में ही व्यस्त रहती थी। जबकि अरुणाचल प्रदेश और केरल जैसे कुछ राज्यों में महिला प्रधान अपनी जिम्मेदारिंयों का निर्वहन बहुत ही संजिदगी से करती थी।

इसी तरह वर्ष 2004 में पंचायत में महिला प्रतिनिधियों की भूमिका को लेकर हरियाणा राज्य में भी एक अध्ययन किया गया। इस शोध में यह तथ्य सामने आया कि हरियाणा में महिला सरपंचों को पर्दा प्रथा, शिक्षा की कमी, अपनी जिम्मेदारिंयों को निभाने में झिझक, पंचायत प्रणाली के बारे में ज्ञान की कमी तथा घर से बाहर निकलने में तमाम तरह की पाबंदियां व समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ग्राम पंचायत में महिला प्रतिनिधियों के समक्ष एक सबसे बड़ी चुनौती यह भी देखने को मिली कि उन्हें अपने मन मुताबिक कार्य करने की आजादी नहीं मिलती। आरक्षित सीटों से जीतने वाली महिलाएं रबर स्टैंप बनकर रह जाती हैं। वर्ष 2008 में पंजाब की तीन ग्राम पंचायत में एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें 75 प्रतिशत प्रतिशत निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों ने बताया कि वह तो सिर्फ नाम का प्रतिनिधि है जबकि पूरा कामकाज पुरुषों ;पति भाई ससुर चाचा आदि द्ध के द्वारा किया जाता है। यह एक सच्चाई है कि कई राज्यों में अभी भी

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 03, Issue 07, July 2024

महिलाओं को रबर स्टैंप के रूप में रखा जाता है। महिलाएं स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए स्वतंत्र नहीं है।

लेकिन यह भी सत्य है कि ग्रामीण विकास में महिला जनप्रतिनिधियों की भूमिका दिनों दिन बढ़ती जा रही है। रूढ़िवादी सामाजिक माहौल के बावजूद संपूर्ण देश में तमाम गांव के महिला सरपंचों व प्रतिनिधियों ने सामाजिक परिवर्तन के कार्य का नेतृत्व करने में पीछे नहीं है। अगर हम बात हरियाणा राज्य की करें जहां लिंगानुपात देश में सबसे कम है, तो वहां पर्याप्त स्तर पर महिला प्रतिनिधियों ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया है जैसे कि इन महिला प्रतिनिधियों ने पर्दा प्रथा को समाप्त करने, स्कूल छोड़ने वाली लड़कियों की उपस्थिति बढ़ाने और उन्हें स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करने, खुले में शौच न जाने तथा लिंगानुपात बढ़ाने के लिए सराहनीय कार्य किया है। देश के कई अन्य राज्यों में भी महिला जनप्रतिनिधियों ने पुरुष प्रधान सोच के विरुद्ध संघर्ष किया है। इसके अतिरिक्त इन महिला प्रतिनिधियों ने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है। राजस्थान राज्य में कई पढ़ी–लिखी और उच्च पदों पर नौकरी करने वाली महिलाओं ने अपने–अपने गांव का विकास करने के लिए पंचायत का चुनाव तक भी लड़ी।

कई राज्य सरकारों द्वारा पंचायत को पर्याप्त धनराशि आवंटित न किए जाने की वजह से लिंग समावेशी विकास अर्थात महिलाओं का विकास प्रभावित हुआ। इसके विपरीत केरल तथा कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों ने धन आवंटन के तरीके में बदलाव लाकर महिलाओं के विकास को अवरुद्ध करने वाली रूकावटों को दूर करने की कोशिश पंचायत के लिए लिंग आधारित बजट की शुरुआत करके की। वर्ष 2010 में 11 राज्यों में किए गए एक अध्ययन के मुताबिक जिन गांवों में महिला प्रधान व सरपंच हैं वहां भ्रष्टाचार में कमी देखने को मिली। यही नहीं बल्कि सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचा। महिला प्रतिनिधियों ने अपने गांव की पेयजल समस्या,, स्वच्छता, शिक्षा तथा सड़कों के निर्माण जैसी बुनियादी जरूरत पर बेहतर काम करते पाई गई।

लेकिन इन सबके बावजूद आधी दुनिया अर्थात महिलाओं की भागीदारी नेतृत्व तथा क्षमता को तभी बढ़ाया जा सकता है , जब लैंगिक समानता की स्थापना हो तथा लैंगिक पूर्वाग्रह को खत्म किया जाए। महिलाओं में शिक्षा एवं जागरूकता का प्रसार हो । यह दोनों चीज पारिवारिक स्तर पर शुरू हो। हर परिवार के पुरुषों को लैंगिक भेदभाव से मुक्त होकर महिलाओं एवं लड़कियों को आगे आने देने तथा स्वयं निर्णय लेने की क्षमता का विकास होने देने के लिए अवसर तथा अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करना चाहिए। सरकारी तथा कानूनी स्तर पर न केवल स्थानीय शासन के स्तर पर बल्कि राज्य व केंद्र के स्तर पर अर्थात विधान मंडलों तथा संसद में भी महिलाओं को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने के लिए सीटें आरक्षित की जाए। हर पार्टी के लिए यह कानूनी बाध्यता सुनिश्चित किया जाए कि हर पार्टी टिकट वितरण करते समय कम से कम एक तिहाई सीट महिलाओं को प्रदान करें। अगर यह सब सुधार किए जाते हैं तो महिला सशक्तिकरण को कोई रोक नहीं सकता। महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों से कम सामर्थ्यवान नहीं है। महिलाएं पुरुषों के समान ही हर कार्य करने में समर्थ हैं। बस जरूरत है उन्हें पुरुषों, समाज एवं सरकार द्वारा अवसर देने का। जो कि उनका वाजिब हक है। परिवार, समाज एवं सरकार द्वारा ऐसी सामाजिक एवं कानूनी परिस्थितियों का निर्माण किया जाए जहां लिंग आधारित भेदभाव ना हो, ना शिक्षा देने में, ना नौकरी देने में, ना राजनीतिक अवसर देने में। इतने बड़े उत्पादक एवं सामर्थ्यवान वर्ग को

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 03, Issue 07, July 2024

विकास की प्रक्रिया से यदि बाहर रखा जाता है तो देश का संपूर्ण विकास होना संभव नहीं है। कोई राष्ट्र तभी तरक्की करता है जब उसे देश के सभी नागरिकों के सामर्थ्य एवं योग्यता को देश के संसाधनों के विकास में लगाया जाए। इसके लिए प्रत्येक प्रकार के भेदभाव को खत्म करना होगा तभी परिवार से ग्राम, ग्राम से ब्लॉक, ब्लॉक से जिला, जिला से राज्य तथा राज्य से देश का चौमुखी विकास होगा और देश शक्तिशाली राष्ट्र बनकर उभरेगा।

संदर्भ सूची ग्रंथ–––

1 विश्वनाथ गुप्ता, भारत में पंचायतीराज, सुरभि प्रकाशन, नई दिल्ली, 2015
2 अभिषेक मेहता, पंचायतीराज संस्थाओ ं में महिलाओं की बढ ती चुनौतियां, देशबंधु
3 सुभाष कश्यप, भारत का संवैधानिक विकास और स्वाधीनता संघर्ष, संवैधानिक एवं संसदीय अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली, 1970
4 होशियार सिंह, द कन्सीट ूयूशनल बेस फॉर पंचायतीराज इन इंडिया : द 73 एमेन्डमेंट एक्ट,एशियन सर्वे, वाल्यूम : 24, न ं. 9, रिजेन्ट यूनिवर्सिटी ऑफ क लिफोर्निया, 1994
5 राज कुमार एंड प्रूथी (सम्पादक) इन्साइक्लोपीडिया ऑफ स्ट टस एंड एम्पॉवरमेन्ट वूमन इन इंडिया, वॉल्यूम 4, मंगलदीप, जयपुर, 1999
6 डी.पी शुक्ला, आर.पी तिवारी, भारतीय नारी वर्तमान समस्या और भावी समाधान, ए.पी.एच. दिल्ली, 1999
7 किरन सक्सेना, वुमन्स एंड पॉलिटिक्स, ग्यान पब्लिसिंग हाउस, नई दिल्ली, 2000
8 वन्दना बंसल, पंचायतीराज में महिला भागीदारी, कल्पाज पब्लिकेशन, दिल्ली, 2004
9 आशा कौशिक, नारी सशक्तिकरण– विमर्श एवं यथार्थ, पॉइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 2004
10 डॉ. पूर्णमल, नवीन पंचायतीराज एवं महिला नेतृत्व पॉईन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 2009
11 डॉ. मधुर राठौड़, पंचायती राज ओर महिला विकास, पॉइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 2003
12 सोहन लाल, 73वें संवैधानिक संशोधन के पश्चात ंचायतीराज संस्थाओ ं में महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण : एक समीक्षात्मक अध्ययन, श्रीगंगानगर, 2015
13 . डॉ. बसन्तीलाल बावेल, पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास योजनायें,